उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या:- 3/2022/134/36-3-2022-02(सा०)/2014

लखनऊ दिनांक : 31 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहां विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान निम्नानुसार 07 चरणों में निर्धारित है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस जनपद/क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022

क्र०स०	चरण	मतदान का दिनांक	जिलों का नाम
1	2	3	4
1	प्रथम	दिनांक 10 फरवरी, 2022 (बृहस्पतिवार)	आगरा, अलीगढ, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफफरनगर, शामली।
2	द्वितीय	दिनांक 14 फरवरी, 2022 (सोमवार)	अमरोहा, बदायूँ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर।
3	तृतीय	दिनांक 20 फरवरी, 2022 (रविवार)	औरैया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी।
4	चतुर्थ	दिनांक 23 फरवरी, 2022 (बुधवार)	बांदा, फतेहपुर, हरदोई, खीरी, लखनऊ, पीलीभीत, रायबेरली, सीतापुर, उन्नाव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है ।

5	पंचम	दिनांक 27 फरवरी, 2022 (रविवार)	अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोण्डा, कौशाम्बी, प्रतापगढ, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, रायबरेली (181- सलोन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)।
6	षष्ठम	दिनांक 03 मार्च, 2022 (बृहस्पतिवार)	अम्बेडकरनगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर।
7	सप्तम	दिनांक 07 मार्च, 2022 (सोमवार)	आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी।

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2022/134(1)/36-3-2022 तद्दिनाक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक 31 जनवरी, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड-ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियां श्रम अनुभाग-3 बापू भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 100 प्रतियां श्रमायुक्त, उ०प्र० जी०टी०रोड कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

3- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

4- श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर।

5- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

6- समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)

7- कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ लखनऊ को उनके पत्र संख्या- 200/सी०ई०ओ०-2-3/2-2022 दिनांक 19.01.2022 के क्रम में।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/निदेशक, दूरदर्शन तथा निदेशक, आकाशवाणी को जनसाधारण की सूचना हेतु प्रचार-प्रसार हेतु।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है ।